केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय – देहरादून (उत्तराखण्ड)
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

Central Board of Secondary Education

Regional Office - Dehradun (Uttarakhand)
(Ministry of Education, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

दिनांक: 04/02/2021

फ: के०मा०शि०बो०/क्षे०का०/दे०दून/अं० व प्र०/2021

सेवा में,

समस्त प्राचार्यगण/विद्यालय प्रमुख
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त
एवं देहरादून परिक्षेत्रान्तर्गत

विषय: छात्रों के विवरणों को प्रवेश के समय ठीक से लिया जाना, रिकार्ड एवं एडमिशन विड्राल रजिस्टर तथा अन्य रिकार्ड में सही प्रविष्टि दर्ज करने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त संदर्भ में परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के प्रमुखों एवं परीक्षा प्रभारियों/एडमिशन प्रभारियों के संज्ञान में लाया जा रहा है कि, बोर्ड मुख्यालय द्वारा निहित प्रावधानों/आदेशों एवं छात्रों के हितों को दृष्टिगत करते हुये, विद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती रही है कि, जब भी विद्यालय में कोई छात्र प्रवेश के लिए स्थानांतरण या फ्रेश–सीधे प्रवेश के तहत आते है, तो उस समय छात्र विद्यालयी रिकार्ड को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं विवरणानुसार पूर्ण किया जाना नितांत आवश्यक हैं। परन्तु अत्यंत खेदजनक है कि, कुछ विद्यालयों द्वारा कई बार अवगत कराये जाने के बावजूद भी बोर्ड की LOC for Registration IX / XI, LOC for Board Exam(s) X / XII and further Issuance of Admit Card of respective Exam(s) के सत्यापन/भरने/जांचने आदि के उत्तरदायित्वों को ठीक से नहीं देखा जाता अर्थात एक प्रकार से लापरवाह स्वभाव के तहत समस्त कार्यप्रणाली एवं प्रावधानों को नकारा जाता है, और जब परिणाम निकल जाता हैं, तो उसके बाद हर वर्ष छात्रों के विवरण/जन्मतिथि सुधार हेतु प्रकरण प्राप्त होते रहते है, जो कि, बिलकुल अनुचित एवं ठीक प्रतीत नहीं होता।

सभी विद्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि, कृपया छात्रों को प्रवेश देते समय सभी दस्तावेजों को ठीक से भरवा लिया जाए, प्रभारी प्रवेश को हिदायतें हो कि, जिसका प्रवेश हो रहा है, के द्वारा भरे गये प्रवेश फार्म के साथ ही सापेक्ष समर्थन में दस्तावेजों, जैसे कि, पिछले विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाणपत्र (जहां लागू हो), माता पिता के सेवा सम्बन्धित रिकार्ड प्रमाणपत्र व उसको मिलान करना, आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाणपत्र व अन्य पासपोर्ट, परिवार रजिस्टर इति० जो भी उपलब्ध हो, के साथ माता–पिता का विवरण एवं तत्सम्बन्धी पुष्टि हेतु साक्ष्य को देखा जाना सुनिश्चित करना अति–आवश्यक है, जिससे कि, सुधार प्रकरणों में कमी हो, और छात्रों को बाद में अपने विवरण सुधार के लिए, परेशान न होना पड़े।

पिछले वर्षों के रिजल्ट बाद सुधार मामलों की अधिकता, निरन्तर अनुरोध के बावजूद भी वर्ष 2020 के परिणाम के बाद अब तक कई विद्यालयों से छात्रों के विवरण (छात्र का नाम, माता पिता का नाम एवं जन्मतिथि) के विसंगति के सुधार के लिए, प्रकरण प्राप्त हो रहे है, जबकि, बोर्ड परीक्षा हेतु व्यवस्था रही कि, अभिभावक–छात्र–प्रधानाचार्य, एल०ओ०सी० के साथ–साथ बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्र में निहित छात्र विवरण को भी ठीक से जांच लेगें, और तत्सम्बन्धी पुष्टि/सत्यापन दर्ज करेगें, परन्तु अत्यंत ही चिंताजनक है कि, इस बावत् ध्यान नहीं दिया जाता है, और परीक्षा उपरान्त छात्र/अभिभावक विसंगति सुधार के लिए, इस कार्यालय में प्रायः आते रहते है, जबकि, विद्यालयों का दायित्व है कि, कक्षा 12वीं के लिए, एल० ओ० सी० का विवरण पूर्ण रूप से

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

99, कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड – 248001
99, Kaulgarh Road, Dehradun, Uttarakhand - 248001
Tel : 0135-2757744 / 2757766, E-mail - roddn.cbse@nic.in, Website - www.cbse.nic.in

Digital India
Power To Empower

04/2

कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षाओं (किसी भी बोर्ड का हो) के दस्तावेजों के आधार पर ही हो, और कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए, कक्षा 09वीं के रजिस्ट्रेशन / छात्र विद्यालयी रिकार्ड (AWR / Admission form, Aadhar Card details etc) के आधार पर ही होना चाहिए।

विद्यालयों से अपेक्षा ही नहीं बल्कि, छात्रों के विश्वास के कस्टोडियन होने के नाते एवं कार्य के प्रति उत्तरदायित्व को समझने के अलावा छात्रों के भविष्य की गम्भीरता के तहत, यह आशा की जाती है कि, वह इस बावत् विशेष ध्यान रखें, परन्तु कुछ विद्यालयों की स्थिति अति–चिंताजनक और अति–लापरवाही से कार्य करने की प्रतीत होती है, ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि, कृपया ध्यान दिया जाए, और गलतियों को न दोहराया जाए, अन्यथा अब लापरवाही बरतने वाले विद्यालयों पर अर्थदंड (Penalty) लगाई जायेगी। इसलिए अति–सजगता एवं समुचित जांच / सत्यापन पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि त्रुटियां न होने पाए, साथ ही अनावश्यक ग्रीवेंस एवं कोर्ट सम्बन्धी मामलों को भी बढ़ावा न मिले।

उपरोक्त के सापेक्ष पुनः निम्न बिन्दुओं को इस आश्य के साथ उजागर किया जा रहा है कि, प्रत्येक छात्र के प्रवेश पर उसके विवरण को पूर्णरूपेण जांचा जाए, तदनुसार प्रवेश की प्रकिया को अंतिम तौर पर स्वीकार किया जाए :–

(क) नये प्रवेश के मामले में अभिभावक के द्वारा भरा गया फार्म पूर्णरूपेण उसके माता–पिता के पूर्ण नाम एवं तत्सम्बन्धी साक्ष्यों जैसे आधार कार्ड, जन्मतिथि प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी), अभिभावक (माता–पिता) का सेवा सम्बन्धी विवरण, पासपोर्ट आदि जो भी उपलब्ध हो, से मिलान कराया जाए। प्रथम नाम, मध्यम नाम, उपनाम, बिल्कुल सही एवं पूर्णरूपेण सही होना चाहिए।

(ख) छात्र की कक्षा में प्रवेश के समय निर्धारित न्यूनतम योग्यता उम्र पर विशेष ध्यान दिया जाए, कोई भी छात्र प्रवेश सत्र हेतु निर्धारित उम्र से कम न हो, अन्यथा किसी भी तरह पात्र नहीं (Not Eligible) होने पर विद्यालय का उत्तरदायितव होगा।

(ग) कक्षा 12वीं के लिए कक्षा 10वीं के दस्तावेजों के विवरण को पुष्टि किया जाए, जबकि कक्षा 10वीं के लिए छात्र विद्यालयी रिकार्ड को सत्यापन हेतु लिया जाए। इसके अतिरिक्त बोर्ड परीक्षा, प्रवेश पत्रों को जारी करते समय भी एक बार पुनः जन्मतिथि, माता–पिता का नाम, छात्र का नाम उसकी स्पेलिंग इति० के साथ ही अन्य वांछित सूचनाओं / जानकारियों को भी राष्ट्र / राज्य एवं जनहित में सही भरा / अंकित किया जाए।

(घ) विद्यालयों से परिणाम निर्गत होने के कई सालों बाद भी प्रकरण प्राप्त हो रहे है, जो कि, हमारी लापरवाही को उजागर करता है, साथ ही इसके कारण अनेको वाद–विवाद, शिकायतें, अभिभावकों की अनावश्यक आवाजाही होती रहती है, अंतत विद्यालय की कारगुजारी बोर्ड के लिए ठीक नहीं रहता।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि, कृपया वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु प्रस्तुत की गई कक्षावार ऑनलाईन एल०ओ०सी० को फिर से छात्र / छात्रा के विवरणानुसार देख लिया जाए, और यदि कोई विसंगति या त्रुटि जानकारी में आती है तो, कार्यवाही निर्धारित प्रकिया के तहत सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(रणबीर सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून